मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

मंगलवार, दिनांक 15 मार्च, 2016 (फाल्गुन 25, शक सम्वत् 1937)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:04 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 15 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 एवं 16) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 117 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 145 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री सुखेन्द्र सिंह, सदस्य की रीवा जिले के ग्राम बासमोड़ा में सड़क निर्माण किये जाने,
(2) श्री घनश्याम पिरोनिया, सदस्य की भाण्डेर के क्षेत्र के ग्रामों में अतिवृष्टि से नष्ट हुई फसलों का मुआवजा न मिलने,
(3) श्री नारायण सिंह पंवार, सदस्य की ब्यावरा के ग्राम गुजरखेड़ी से ग्राम शम्भूपुरा सड़क का निर्माण ठीक से न किये जाने,
(4) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य की श्योपुर जिले में मुआवजा में अनियमितता होने,
(5) श्री प्रदीप अग्रवाल, सदस्य की दतिया जिले के ईसागढ़ नगर पंचायत में नाली का निर्माण न होने से जल भराव होने,
(6) श्री सुरेन्द्र सिंह बघेल, सदस्य की धारा जिले के कुक्षी बायपास मार्ग का निर्माण न होने,
(7) श्री संजय उइके, सदस्य की पुलिस ताना गढ़ी को अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) बेहर के अधीन संचालित किये जाने,
(8) श्री गोविन्द सिंह पटेल, सदस्य की गाडरवाड़ा के ग्रामों में सड़क निर्माण किये जाने,
(9) कुंवर विक्रम सिंह, सदस्य की छतरपुर जिले के खजुराहो में नाबालिग बच्ची से दुराचार होने तथा
(10) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य की पाण्डेय वेतनमान की विसंगतियों को दूर किये जाने,

सम्बन्धी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं.

3. शून्यकाल में उल्लेख एवं अध्यक्षीय व्यवस्था

(1) प्रदेश के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल करने संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की जाना

श्री बाला बच्चन, प्रभारी नेता प्रतिपक्ष द्वारा यह उल्लेख किया गया कि – "प्रदेश के पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी एवं अन्य विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर हैं उस संबंध में शुक्रवार को दिये गये स्थगन पर चर्चा करवाएं, सरकार से जवाब मंगवाएं ताकि प्रदेश की सेवाओं के लिये उनका सहयोग मिलता रहे. माननीय अध्यक्ष ने प्रभारी नेता प्रतिपक्ष को सूचित किया कि संबंधित जानकारी शासन से मंगवाई है, जानकारी उपलब्ध होने के बाद उसका निर्णय करेंगे.

(2) "इन्दौर में 100 साल पुराने मकानों के अतिक्रमण तोड़े जाने संबंधी दिये गये ध्यानाकर्षण को ग्राह्य करना

श्री जितू पटवारी, सदस्य द्वारा यह उल्लेख किया गया कि – "इन्दौर में 100 साल पुराने मकानों के अतिक्रमण तोड़े जा रहे हैं और मास्टर प्लान सम्बन्धी नियमों की भी अवहेलना की जा रही है. इन्दौर नगर निगम की हठधर्मिता के कारण लोगों के साथ अन्याय हो रहा है. पीड़ित व्यक्तियों को मुआवजा मिले. इस संबंध में कृपया ध्यानाकर्षण को ग्राह्य करें".

(3) "प्रदेश में चल रही परीक्षाओं के परीक्षा केन्द्र सरकार द्वारा अतिसंवेदनशील परीक्षा केन्द्रों में परिवर्तित कर दिये जाने के कारण छात्र मानसिक दवाब और प्रताड़ना से आत्महत्या तक करना

श्री हर्ष यादव, सदस्य द्वारा यह उल्लेख किया गया कि – "प्रदेश में 10वीं और 12 वीं की परीक्षाएं चल रही है. कई प्रायवेट परीक्षार्थियों के परीक्षा केन्द्र सरकार द्वारा अतिसंवेदनशील परीक्षा केन्द्रों में परिवर्तित कर दिये गये हैं. इससे कुछ छात्र मानसिक दवाब और प्रताड़ना के कारण आत्महत्या तक कर रहे हैं. सरकार इस पर विचार करे."

(4) सरकार द्वारा पुरातत्व विभाग की इमारत को बेच देने संबंधी ध्यानाकर्षण को ग्राह्य करने की मांग करना

श्री आरिफ अकील, सदस्य द्वारा यह उल्लेख किया गया कि – "सरकार द्वारा पुरातत्व विभाग की एक इमारत को बेच दिया है. इस संबंध में कृपया ध्यानाकर्षण को ग्राह्य करलें".

(5) माचामोर डेम में नाला क्लोजर के समय मजदूर जयराम को रोलर से दबाने से उसकी दर्दनाक मृत्यु होने संबंधी ध्यानाकर्षण को ग्राह्य करने की मांग करना

पं. रमेश दुबे, सदस्य द्वारा यह उल्लेख किया गया कि – "मेरे विधान सभा क्षेत्र के माचामोर डेम में नाला क्लोजर के समय मजदूर जयराम को रोलर से दबा दिया गया, जिससे उसकी दर्दनाक मृत्यु हो गई. कृपया इस संबंध में ध्यानाकर्षण को ग्राह्य करें".

(6) पिछले खरीफ फसल की राहत राशि को पुजारियों को न देते हुए कलेक्टर के खाते में जमा होने से पुजारियों में असंतोष होने संबंधी ध्यानाकर्षण को ग्राह्य करने की मांग करना

श्री कैलाश चावला, सदस्य द्वारा यह उल्लेख किया गया कि – "पिछले खरीफ फसल की जो राहत राशि दी जा रही है उसमें पुजारियों को राहत राशि न देते हुए कलेक्टर के खाते में जमा हो रही है जिससे पुजारियों में असंतोष है इस बारे में ध्यानाकर्षण को ग्राह्य करने का अनुरोध है".

(7) प्रदेश सरकार द्वारा राज्य स्वास्थ्य सोसायटी में प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं गुजरात की एक निजी संस्था को ठेके पर देने से प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बिगड़ने संबंधी ध्यानाकर्षण को ग्राह्य करने की मांग करना

श्री रामनिवास रावत, सदस्य द्वारा यह उल्लेख किया गया कि – "प्रदेश के आदिवासी जिले झाबुआ, अलीराजपुर और बड़वानी में प्रदेश सरकार ने राज्य स्वास्थ्य सोसायटी में प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं गुजरात के एक निजी संस्था दीपक फाउन्डेशन को ठेके पर दे दी. उससे एम.ओ.यू. कर लिया जिससे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरह से बिगड़ी हुई है. इस संबंध में ध्यानाकर्षण को ग्राह्य करें".

(8) सिहावल विधान सभा क्षेत्र के ग्राम चितवरिया और महुआ में बाणसागर की नहर फूट जाने से किसानों की फसलों की नुकसानी का सर्वेक्षण करना

श्री कमलेश्वर पटेल, सदस्य द्वारा यह उल्लेख किया गया कि – "सिहावल विधान सभा क्षेत्र के ग्राम चितवरिया और महुआ में बाणसागर की नहर फूट जाने से किसान की फसलों का नुकसान हो गया है. उनका सर्वे करा कर किसानों को लाभ दिलाएं".

(9) सिवनी जिले में कर्मचारी समस्या, ओलावृष्टि एवं सड़क दुर्घटना होना

श्री दिनेश राय, सदस्य द्वारा यह उल्लेख किया गया कि – "मेरे जिले में स्वास्थ्य कर्मचारियों की समस्या को हल करें वहां अस्पताल में सुविधाएं नहीं है. जिससे लोग प्रायवेट अस्पतालों में जा रहे हैं. दूसरा, मेरे यहां ओलावृष्टि होने से फसलों का नुकसान हुआ है. तीसरे, हमारे यहां पर फोरलेन सड़क में आदमी ज्यादा खत्म हो रहे हैं, मेरे द्वारा दिये गये तीनों शून्यकाल पर शासन का जवाब दिलायें".

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार मंत्री ने मध्यप्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का 47 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा, वर्ष 2012-13 पटल पर रखे.

5. ध्यान आकर्षण

(1) डॉ. रामकिशोर दोगने, सदस्य ने होशंगाबाद में फर्जी सहकारी संस्था पर विभाग द्वारा कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री गोपाल भार्गव, सहकारिता मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

सभापति महोदय (श्री केदारनाथ शुक्ल) पीठासीन हुए.

(2) डॉ. कैलाश जाटव, सदस्य ने जबलपुर स्थित पुरूषार्थ को-ऑपरेटिव सोसायटी द्वारा सदस्यों के साथ धोखाधड़ी किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री गोपाल भार्गव, सहकारिता मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

6. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सभापति ने लोक लेखा समिति का दो सौ चौवनवां से तीन सौ पचपनवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किए.

7. बधाई

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, द्वारा समिति के कुल 355 प्रतिवेदन प्रस्तुत करने पर आसंदी से सभापति महोदय, डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री एवं श्री कैलाश चावला, सदस्य द्वारा बधाई दी गई. सभापति महोदय ने समिति के सभी सदस्यों के सहयोग और विधान सभा के प्रमुख सचिव व अन्य अधिकारियों-कर्मचारियों के सहयोग के प्रति आभार व्यक्त किया.

8. याचिकाओं की प्रस्तुति

सभापति महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों द्वारा याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं:-

(1) डॉ. गोविंद सिंह (जिला-भिण्ड)
(2) श्री घनश्याम पिरौनियां (जिला-दतिया)
(3) श्री मुकेश नायक (जिला-पन्ना)
(4) श्री केदारनाथ शुक्ल (जिला-सीधी)
(5) श्री कालूसिंह ठाकुर (जिला-धार)
(6)श्री कुंवर सिंह टेकाम (जिला-सिंगरौली)
(7) श्री संजय शर्मा (जिला-नरसिंहपुर)
(8) श्री वीर सिंह पंवार (जिला-विदिशा)
(9) श्री गोवर्धन उपाध्याय(जिला-विदिशा)
(10) श्री नीलेश अवस्थी (जिला-जबलपुर)
(11) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को(जिला-अनूपपुर)
(12) श्रीमती शीला त्यागी (जिला-रीवा)
(13) इंजी. प्रदीप लारिया (जिला-सागर)
(14) श्री देवेन्द्र वर्मा (जिला-खण्डवा)
(15) श्री कमलेश्वर पटेल (जिला-उमरिया)
(16) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया (जिला-मुरैना)
(17) श्री अमर सिंह यादव (जिला-राजगढ़)
(18) श्री हर्ष यादव (जिला-सागर)
(19) श्री सूबेदार सिंह रजौधा (जिला-मुरैना)
(20) कुंवर विक्रम सिंह (जिला-छतरपुर)
(21) श्री के.के. श्रीवास्तव (जिला-टीकमगढ़)
(22) श्री गोविंद सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
(23) श्री सचिन यादव (जिला-खरगोन)
(24) श्री सुन्दरलाल तिवारी (जिला-रीवा)
(25) श्री दिलीप सिंह परिहार (जिला-नीमच)
(26) श्री विजय सिंह सोलंकी (जिला-खरगोन)
(27) श्री जालम सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
(28) श्रीमती ऊषा चौधरी (जिला-सतना)
(29) श्रीमती ललिता यादव (जिला-छतरपुर)
(30) श्री राजेन्द्र वर्मा (जिला-देवास)
(31) श्री संजय उइके (जिला-बालाघाट)
(32) श्री प्रदीप अग्रवाल (जिला-दतिया)
(33) श्रीमती ममता मीना (जिला-गुना)
(34) श्री दिनेश राय (जिला-सिवनी)
(35) श्री दुर्गालाल विजय (जिला-श्योपुर)
(36) श्री नारायण सिंह पंवार (जिला-राजगढ़)
(37) श्री आशीष शर्मा (जिला-देवास)
(38) श्रीमती झूमा सोलंकी (जिला-खरगोन)
(39) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर (जिला-टीकमगढ़)

(40) श्री कुँवरजी कोठार (जिला-राजगढ़)
(41) श्रीमती प्रमिला सिंह (जिला-शहडोल)
(42) कुँवर सौरभ सिंह (जिला-कटनी)
(43) श्री प्रताप सिंह (जिला-दमोह)
(44) पं. रमाकान्त तिवारी (जिला-रीवा)
(45) श्री मानवेन्द्र सिंह (जिला-छतरपुर)
(46) श्रीमती सरस्वती सिंह (जिला-सिंगरौली)
(47) श्री निशंक कुमार जैन (जिला-विदिशा)

9. मंत्री का वक्तव्य

श्री गोपाल भार्गव, सहकारिता मंत्री ने प्रदेश के किसानों की ऋण वसूली स्थगित करने के संबंध में वक्तव्य दिया गया.

श्री बाला बच्चन, प्रभारी नेता प्रतिपक्ष द्वारा प्रतिक्रिया व्यक्त की गई.

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया कि माननीय सदस्यों के लिये भोजन की व्यवस्था सदन की लॉबी में की गई है. माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने सुविधानुसार भोजन ग्रहण करने का कष्ट करें.

10. वर्ष 2016-17 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

(13) श्री अन्तर सिंह आर्य, श्रम मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को –

अनुदान संख्या – 18	श्रम के लिए एक सौ उनहत्तर करोड़, चालीस लाख, सतानवे हजार रूपये,
अनुदान संख्या – 63	अल्प संख्यक कल्याण के लिए पच्चीस करोड़, एक लाख, बयासी हजार रूपये,
अनुदान संख्या – 66	पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए नौ सौ बत्तीस करोड़, सतासी लाख, तेईस हजार रूपये तथा
अनुदान संख्या – 69	विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण के लिए अठारह करोड़, चौहत्तर लाख, इक्यावन हजार रूपये तक की राशि दी जाय.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) सुश्री हिना लिखीराम कांवरे

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ.राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

(2) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया
(3) कुंवर सौरभ सिंह

सभापति महोदय (श्री रामनिवास रावत) पीठासीन हुए.

(4) श्री दिलीप सिंह शेखावत
(5) श्री कमलेश्वर पटेल
(6) श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर

सभापति महोदय (श्री केदारनाथ शुक्ल) पीठासीन हुए.

(7) श्री सुखेन्द्र सिंह
(8) कुं. हजारीलाल दांगी

(9) श्री दिनेश राय
(10) श्री दुर्गालाल विजय
(11) श्री वेलसिंह भूरिया
(12) श्रीमती झूमा सोलंकी
(13) श्री आर.डी. प्रजापति
(14) श्री विष्णु खत्री
(15) श्री घनश्याम पिरोनियां

श्री अन्तर सिंह आर्य, श्रम मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ.राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

(14) श्री ज्ञान सिंह, आदिम जाति कल्याण मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को –

अनुदान संख्या – 15	अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिए दो हजार उनसठ करोड़, पच्चीस लाख सतावन हजार रूपये,
अनुदान संख्या – 33	आदिम जाति कल्याण के लिए एक हजार सात सौ सतावन करोड़, इकतालीस लाख, इकहत्तर हजार रूपये,
अनुदान संख्या – 41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के लिए ग्यारह हजार उनतीस करोड़, बत्तीस लाख, चौहत्तर हजार रूपये,
अनुदान संख्या – 42	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य –सड़कें और पुल के लिए एक हजार एक सौ उन्नीस करोड़, सतानवे लाख, सोलह हजार रूपये,
अनुदान संख्या – 49	अनुसूचित जाति कल्याण के लिए एक सौ करोड़, तेरह लाख, उन्नीस हजार रूपये,
अनुदान संख्या – 52	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिए तीन हजार नौ सौ चौंतीस करोड़, सत्तर लाख, उनासी हजार रूपये,
अनुदान संख्या – 53	अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के लिए एक हजार एक सौ तीस करोड़, सत्ताईस हजार रूपये,
अनुदान संख्या – 64	अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए आठ हजार पांच सौ बानवे करोड़, छब्बीस लाख, तिहत्तर हजार रूपये तथा
अनुदान संख्या – 68	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के लिए एक सौ पंद्रह करोड़, पचासी लाख, अठानवे हजार रूपये तक की राशि दी जाय.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री बाला बच्चन, प्रभारी नेता प्रतिपक्ष
(2) श्री कुंवर सिंह टेकाम
(3) इंजी. प्रदीप लारिया

सभापति महोदय (श्री रामनिवास रावत) पीठासीन हुए.

(4) श्रीमती झूमा सोलंकी
(5) श्री वेलसिंह भूरिया
(6) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को
(7) श्री हेमन्त विजय खण्डेलवाल

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ.राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

(8) श्री दिनेश राय
(9) श्री जतन उइके
(10) श्रीमती उमादेवी खटीक

सभापति महोदय (श्री केदारनाथ शुक्ल) पीठासीन हुए.

(11) श्री संजय उइके

सभापति महोदय द्वारा घोषणा की गई कि माननीय सदस्यों के लिये सदन की लॉबी में स्वल्पाहार की व्यवस्था की गई है माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपनी सुविधानुसार स्वल्पाहार ग्रहण करने का कष्ट करें.

(12) श्री कमलेश्वर पटेल
(13) श्री रामपाल सिंह (ब्यौहारी)
(14) श्री वीर सिंह पंवार
(15) श्री सुरेन्द्र सिंह बघेल
(16) श्री हरदीप सिंह डंग
(17) श्रीमती सरस्वती सिंह
(18) श्रीमती ऊषा चौधरी
(19) श्री रणजीत सिंह गुणवान

11. अध्यक्षीय घोषणा

सदन के समय में वृद्धि विषयक

सभापति महोदय द्वारा घोषणा की गई कि आज की कार्यसूची के पद 6 (2) का कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की जाए. सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई.

12. वर्ष 2016-17 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमश:)

श्री ज्ञान सिंह, आदिम जाति कल्याण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

13. अध्यक्षीय घोषणा

फोटोग्राफ्स एवं खादी उत्पादों के प्रदर्शनी एवं सह विक्रय केन्द्र के उदघाटन विषयक

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि कल दिनांक 16 मार्च, 2016 को प्रात: 10.30 बजे विधानसभा भवन के ऑडिटोरियम की लॉबी में माननीय सदस्यों के फोटोग्राफ्स की प्रदर्शनी एवं खादी उत्पादों के प्रदर्शनी सह विक्रय केन्द्र विषयक का उदघाटन होगा.

रात्रि 7.06 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 16 मार्च, 2016 (26 फाल्गुन, शक सम्वत् 1937) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

भगवानदेव ईसरानी,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल:
दिनांक: 15 मार्च, 2016